न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

64 / 2024

श्री रामराज मीणा निवासी गोविंदपुरा दलवासा पोस्ट थनवाला तहसील देवली जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 09.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 790 दिनाक 28.10.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दपुरा (दलवासा) की वर्तमान जगह की भूमि आवंण्टन ओदश, पट्टा, जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस सहित उप स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि आवंण्टन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजो/आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध करवाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 1734 दिनांक 28.11.2024, 1847 दिनांक 13.12.2024 व 5 दिनांक 1.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने पत्र कमांक 3818 दिनांक 26.12.2024 से जवाब प्रेषित किया है प्रार्थी रामराज ने वर्तमान आवण्टन संबंधि नक्शा ट्रेस तथा नकल जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज लेने से मना कर दिया। प्रार्थी को पुराने उप स्वास्थ्य केन्द्र का पट्टा चाहिये, पट्टा आबादी भूमि मे दिया गया था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत थावंला से संबंधित होने के कारण दिनांक 20.12.2024 को प्रार्थना पत्र नियमानुसार अन्तरित कर दिया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। आप द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत थावंला से संबंधित है, उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने कि स्थिति में अपीलान्ट उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक